18.04.2022	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलार्थी/अप.। ~~काम~~ डूंगरसिंह मेहता ने उप. होकर अपीलांट की तरफ से वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो। रेस्पो. संख्या 1 से 13 के नाम रजिस्टर्ड समन निकाले एक माह से अधिक समय हो चुका है तामील पर्याप्त मानी जाती है। बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का

समुचित अवसर नहीं दिया

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है दावे के निस्तारण में रहते अपीलांटगण की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन के तथ्यों के आलोक में अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा आदेश दिये जाते है कि हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.21 व 01.11.2021 को मूल आवेदन के निस्तारण तक यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल आवेदन 212 का अधिकतम दो माह में निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर